हरीराम बनाम राजूराम
2016 / 00081
निर्णय दिनांकः–07.04.2026

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना–बालोतरा

(पीठासीन अधिकारी –भंवर लाल आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–441 / 2015 दर्ज तिथिः–12.12.2015

1. हरीराम पुत्र विरधाराम
2. रामचन्द पुत्र विरधाराम
3. भागीरथराम पुत्र विरधाराम
   जाति विश्नोई निवासी प्रतापनगर,चैनपुरा, तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा

...............वादीगण

बनाम

1. राजूराम पुत्र चेतनराम गोदपुत्र सालूराम
2. ठाकराराम पुत्र भोमाराम
3. मांगीलाल पुत्र चेतनराम
4. जगदीश पुत्र चेतनराम
5. सजनी पत्नी चेतनराम
   जाति विश्नोई निवासी प्रतापनगर, चैनपुरा, तहसील धोरीमना

............असल.प्रतिवादीगण

6. प्रबन्धक,एसबीआई शाखा गुड़ामालानी
7. तहसीलदार धोरीमना

............तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री ओमप्रकाश विश्नोई
प्रतिवादीगणः–श्री रामजीवण विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88,53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–07.04.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के त[illegible]कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या [illegible] ग्राम प्रतापनगर ,पटवार हल्का चैनपुरा, तहसील धोरीमन्ना जिला बालो[illegible] में अवस्थित है। उक्त [illegible]र्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.04.17 17:11:56 IST
Reason: SelfAttested

संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर जवाबदावा मय काउन्टर क्लैम प्रस्तुत किया जिस पर वादीगण द्वारा जवाबुअल जावब पेश किया। पत्रावली में तनकीयात कायम किये जाने पर वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र वास्ते काउन्टर क्लैम को खारीज करने तथा कायम तनकीयात को रेकर्ड पर नहीं लेने का पेश किया । उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस पर बाद मनन वादी का प्रार्थना पत्र वास्ते काउन्टर क्लैम खारीज करने तथा कायम तनकीयात को रेकर्ड पर नहीं लेने का स्वीकार किया गया। पत्रावली में वादी अधिवक्ता द्वारा बिना वादी साक्ष्य सीधे बहस का निवेदन किया जिस पर प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने कोई आपति जाहिर नहीं की। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की जिरह सुनी गई। विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष ने दौरान ए जिरह संयुक्त आराजी में से अपना खाता मुताबिक जमाबंदी पृथक कर बंटवारा किये जाने का निवेदन किया। तत्पश्चात प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.12.2025 को जारी की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./2026/576 दिनांक 27.03.2026 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार प्रेषित मौका कुर्रेजात रिपोर्ट तथा प्रकरण में तहसीलदार द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण में अपनायी गई प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate*	प्रकरण में दिनांक 23.03.2026 को [illegible] धोरीमन्ना द्वारा मय [illegible] गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया [illegible] मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.04.17 17:11:56 IST
Reason: SelfAttested

the portion at the expense of the parties.	
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील धोरीमन्ना के नोटिस क्रमांक भू.अ./2026/2201—2206 दिनांक 23.03.2026 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 23.03.2026 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

3. प्रकरण में उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 242 रकबा 11.8492 है0 किस्म बा.सो. वाके ग्राम प्रतापनगर ,पटवार हल्का चैनपुरा, तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा— ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर विश्लेषण इस प्रकार हैः—

प्रथम— स्वामित्व एवं कब्जाः— प्रकरण के बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह—काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार ... प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय— सुविधा का संतुलनः— प्रकरण ... तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया ...। बाद में तकसीम हाल सह

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.04.17 17:11:56 IST
Reason: Self Attested

काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं । प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय— अपूरणीय क्षतिः— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद—रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—88, 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम— 1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 242 रकबा 11.8492 है0 किस्म बा.सो. वाके ग्राम प्रतापनगर ,पटवार हल्का चैनपुरा, तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार वादी व प्रतिवादी के हिस्से अनुसार दावा वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमना को दिये जाते हैं।

क्र. सं.	खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	लगान	क़िस्म	बरंग
1.	भागीरथ पुत्र विरदाराम रामचन्द पुत्र विरदाराम हरिराम पुत्र विरदाराम कौम विश्नोई सा.देह खातेदार रहन रामचन्द का हिस्सा एसबीआई गुड़ामालानी	1/3 1/3 1/3	242	2.8915	0.87	बा.सो.	हरा
2.	राजूराम पुत्र चेतनराम कौम विश्नोई सा.देह खातेदार	पूर्ण	[illegible]	2.8915	0.87	बा.सो.	लाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.04.17 17:11:56 IST
Reason: SelfAttested

3.	ठाकरराम पुत्र भोमाराम कौम विश्नोई सा.देह खातेदार	पूर्ण	242	2.8915	0.87	बा.सो.	पहाडी
4.	सजनी पत्नी चेतनराम जसवन्ताराम पुत्र सावताराम जाति विश्नोई सा.देह खाते.	1/3 2/3	242	2.8915	0.86	बा.सो.	पीला
	भागीरथ पिता विरदा रामचन्द पिता विरदा हरीराम पिता विददा ठाकरा वल्द भोमा राजूराम पुत्र चेतनराम सजनी पत्नी चेतनराम जसवन्ताराम पुत्र सांवताराम जाति विश्नोई सा.देह खातेदार रहन ठाकरा रामचन्द का एसबीआई गुड़ामालानी	1/12 1/12 1/12 1/4 1/4 1/12 1/6	242	0.2832	0.08	बा.सो.	काला

उक्तानुसार वादी व प्रतिवादी के हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादी अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 07.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना–बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.04.17 17:11:56 IST
Reason: SelfAttested

हरीराम बनाम राजूराम
2016/00081
निर्णय दिनांकः–07.04.2026

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना–बालोतरा

(पीठासीन अधिकारी –भंवर लाल आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–441/2015 दर्ज तिथिः–12.12.2015

1. हरीराम पुत्र विरधाराम
2. रामचन्द पुत्र विरधाराम
3. भागीरथराम पुत्र विरधाराम

जाति विश्नोई निवासी प्रतापनगर,चैनपुरा, तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा

..................वादीगण

बनाम

1. राजूराम पुत्र चेतनराम गोदपुत्र सालूराम
2. ठाकरराम पुत्र भोमाराम
3. मांगीलाल पुत्र चेतनराम
4. जगदीश पुत्र चेतनराम
5. सजनी पत्नी चेतनराम

जाति विश्नोई निवासी प्रतापनगर, चैनपुरा, तहसील धोरीमना

............असल.प्रतिवादीगण

6. प्रबन्धक,एसबीआई शाखा गुड़ामालानी
7. तहसीलदार धोरीमना

............तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री ओमप्रकाश विश्नोई
प्रतिवादीगणः–श्री रामजीवण विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88,53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:पर्चा डिक्रीः–

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–88, 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 242 रकबा 11.8492 है0 किस्म बा.सो. वाके ग्राम प्रतापनगर ,पटवार हल्का चैनपुरा, तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित [illegible] वादी व प्रतिवादी के हिस्से अनुसार दावा वादी अंतिम डिक्री किया जाता [illegible] पक्षकारान के अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश [illegible] धोरीमना को दिये जाते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2026.04.17 17:11:56 IST
Reason: SelfAttested

हरीराम बनाम राजूराम
2016/00081
निर्णय दिनांकः—07.04.2026

क्र. सं.	खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	लगान	किस्म	वरंग
1.	भागीरथ पुत्र विरदाराम रामचन्द पुत्र विरदाराम हरिराम पुत्र विरदाराम कौम विश्नोई सा.देह खातेदार रहन रामचन्द का हिस्सा एसबीआई गुड़ामालानी	1/3 1/3 1/3	242	2.8915	0.87	बा.सो.	हरा
2.	राजूराम पुत्र चेतनराम कौम विश्नोई सा.देह खातेदार	पूर्ण	242	2.8915	0.87	बा.सो.	लाल
3.	ठाकराराम पुत्र भोमाराम कौम विश्नोई सा.देह खातेदार	पूर्ण	242	2.8915	0.87	बा.सो.	पहाडी
4.	सजनी पत्नी चेतनराम जसवन्ताराम पुत्र सावताराम जाति विश्नोई सा.देह खाते.	1/3 2/3	242	2.8915	0.86	बा.सो.	पीला
5.	भागीरथ पिता विरदा रामचन्द पिता विरदा हरीराम पिता विरदा ठाकरा वल्द भोमा राजूराम पुत्र चेतनराम सजनी पत्नी चेतनराम जसवन्ताराम पुत्र सांवताराम जाति विश्नोई सा.देह खातेदार रहन ठाकरा रामचन्द का एसबीआई गुड़ामालानी	1/12 1/12 1/12 1/4 1/4 1/12 1/6	242	0.2832	0.08	बा.सो.	काला

उक्तानुसार वादी व प्रतिवादी के हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादी अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेंगें।
यह निर्णय आज दिनांक 07.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.04.17 17:11:56 IST
Reason: SelfAttested

(भंवर लाल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना—बालोतरा